रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012023-243285
CG-DL-E-30012023-243285

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 30, 2023/माघ 10, 1944
No. 56] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 30, 2023/MAGHA 10, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 61(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) संशोधन नियम, 2023 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त होंगे।

2. ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 में –

(i) नियम 16 के उपनियम (5) में, "उत्पाद उपयोगकर्ता प्रलेखन में" शब्दों के स्थान पर "जैसे और जब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपेक्षित हो" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) अनसूची II में क्र. सं. 35 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियाँ अंतपित की स्था: जाएगी, अर्थात्:-

"36. अनुसूची-I में यथा सूचीबद्ध, सोलर पैनल/सेल्स, सोलर फोटोवोल्टिक पैनल/सेल्स/मॉड्यूल में कैडमियम और सीसा"

37. अनुसूची-I में यथा सूचीबद्ध, चिकित्सा उपकरण (सभी प्रत्यारोपित और संक्रमित उत्पादों को छोड़कर) में सीसा।"

[फा. सं. 12/136/2021- एचएसएमडी]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में संख्यांक सा.का.नि. 801(अ), तारीख 2 नवम्बर, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2023

G.S.R. 61(E).—In exercise of powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules to amend the E-Waste (Management) Rules, 2022, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called E-Waste (Management) Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force from the 1st day of April, 2023.

2. In the E-Waste (Management) Rules, 2022, -

(i) in rule 16, in sub-rule (5), for the words ‘‘in the product user documentation’’, the words ‘‘as and when required by the Central Pollution Control Board’’ shall be substituted;

(ii) in Schedule - II, after Sl. No. 35 and entries relating thereto, the following Sl. Nos. and entries shall be inserted, namely: -

‘‘36. Cadmium and lead in Solar panels/cells, solar Photovoltaic panels/cells/modules as listed in Schedule - I

37. Lead in Medical Devices (with the exception of all implanted and infected products) as listed in Schedule - I.’’.

[F. No. 12/136/2021-HSMD]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 801(E), dated the 2nd November, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA